(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 154 **नई दिल्ली,** **22 अगस्त 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास द्वाराआबटित गाँधीधाम नगर की आंबटित भूमि के किराया पट्टे की वैधता को विस्तारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/9/2006 - केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) **आवेदक**

आदेश

(जुलाई, 2009 के 28 वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आंबटित गाँधीधाम नगर भूमि के पट्टेदारी किराये 22 अप्रैल 2008 को इस प्राधिकरण द्वारा अनन्तिमरूप से संशोधित किए गए थे। कथित आदेश, राजपत्र सं. 100 के माध्यम से 16 जून 2008 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया, जिनकी वैधता अवधि 5 वर्ष थी, पिछले प्रभाव 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2008 तक क्रियान्वित किए गए थे।

2. केपीटी दिनांक 13 मार्च 2009 के अपने पत्र में, यह बताते हुए कि उसने गांधीधाम नगर भूमि के पट्टेदारी किराये का संशोधन कार्य पहले ही आरंभ कर दिया है, 22 अप्रैल 2008 को पारित आदेश की वैधता 6 माह और बढ़ाने हेतु इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था। 27 मार्च 2009 को आयोजित बैठक में इस प्राधिकरण ने पत्तन के अनुरोध पर विचार किया और वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता 30 जून 2009 तक बढ़ा दी।

3. केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2009 के द्वारा सूचित किया है कि कांडला और गाँधीधाम स्थित जमीन के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए जमीन मूल्यांकक को नियुक्त किया जा रहा है जिससे छह महिनो के अंदर अपना काम पूरा कर लेने की उम्मीद हैं। क्षेत्रवार दरों को शामिल करते हुए एक उपयुक्त प्रस्ताव दाखिल करने के लिए केपीटी ने मौजूदा किराये-पट्टे की वैधता को आगे चार महिनों के लिए अर्थात 31 अक्तूबर 2009 तक विस्तारित करने के लिए अनुरोध किया है।

4. चूँकि केपीटी के द्वारा आंबटित जमीन के मौजूदा पट्टे-किराये की वैधता 30 जून 2009 को समाप्त हो गई है, यह आवश्यक हो गया है कि मौजूदा पट्टे- किराए की वैधता को इस तिथि से आगे विस्तारित किया जाय। महापत्तनों की भूमि संबंधीनीति पर सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में सन्निहित है कि जब तक पट्टा-किराए समक्ष अधिकारी द्वारा संशोधित नहीं किए जाते तबतक उनमें प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि होती रहेगी।

5. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों से एवं समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वारा आंबटित जमीन के मौजूदा पट्टे-किरायें की वैधता को 1 जुलाई 2009 से चार महिने के लिए या केपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव पर संशोधित पट्टा-किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि इनमें से भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष